

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

आदेश

पटना/दिनांक- 14/04/16

संख्या 13/मु0 10-06/2010 (अंश-I) 934/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 संख्या-1489/2011 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या-32079/2015 एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का समायोजन सरकारी सेवा में चतुर्थ वर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर किया जाना है।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में समायोजन हेतु भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की पहचान एवं वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया जाता है जिनमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी — अध्यक्ष
 2. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) — सदस्य सचिव
 3. जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित वरीय पदाधिकारी — सदस्य
 4. जिला में पदस्थापित वरीयतम कार्यक्रम पदाधिकारी — सदस्य
2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 संख्या- 1489/2011 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या- 32079/2015 में पारित आदेश के आलोक में केवल ऐसे अनुदेशकों के समायोजन पर विचार किया जाना है जो :-
- i) अनौपचारिक शिक्षा योजना की समाप्ति के समय अर्थात् 31.03.2001 को कार्यरत रहे हों।
 - ii) अनौपचारिक शिक्षा योजना के समाप्ति के पूर्व लगातार तीन वर्षों तक कार्यरत रहे हों।
 - iii) संबंधित अनुदेशकों द्वारा समायोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दिनांक- 26.02.2016 तक कोई वाद दायर किया हो।
3. विभाग में उपलब्ध समायोजन हेतु दायर वादों में संलग्न petitioners की जिलावार सूची इस आदेश के साथ संलग्न है।
4. विभाग द्वारा इस संबंध में समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा जिसमें दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कमिटी विज्ञापन में निर्धारित अवधि तक भूतपूर्व अनुदेशकों से आवेदन प्राप्त करेगी।
5. कमिटी सभी संबंधितों से दिनांक 31.03.2001 को कार्यरत रहने संबंधी नोटरी द्वारा निर्गत Affidavit प्राप्त करेगी जिसमें अंकित हो कि समर्पित सभी दस्तावेज सही हैं तथा इनके False/जाली पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
6. कमिटी सभी संबंधितों से पहचान-पत्र की एक सत्यापित प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्राप्त करेगी।
7. कमिटी सभी संबंधितों से तीन फोल्डर में दस्तावेज यथा-जन्मतिथी का प्रमाण-पत्र, आरक्षण कोटि का लाभ हेतु प्रमाण-पत्र, माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र एवं 31.03.2001 को कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र इत्यादि प्राप्त करेगी, जिसमें से दो फोल्डरों में संलग्न दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों से मिलान करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर कमिटी के समक्ष विचारार्थ रखेंगे।

8. कमिटी विज्ञापन में निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद दिनांक 26.05.16 तक अनुदेशकों की सूची जिला मुख्यालय में प्रदर्शित करते हुये दिनांक 16 जून 2016 तक उसपर दावा/आपत्ति प्राप्त करेगी।

9. कमिटी प्राप्त दावा/आपत्ति को निष्पादित कर नियमानुसार वरीयता निर्धारित करते हुए अनुदेशकों की सूची संलग्न विहित जाँच प्रपत्र में करते हुए इसके साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित फोल्डर को 30 जून 2016 तक जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग में उपलब्ध करायेगी।

(डॉ० डी० एस० गंगवार)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 934

/पटना, दिनांक 14/04/16

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 934

/पटना, दिनांक 14/04/16

प्रतिलिपि:— आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

